

संख्या-255/15-[13]/89-1499 [46]/87 दी0 सी0

प्रेषक,

श्री ए0 के0 विश्नोई
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवम्
प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

विषय [13] अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 1989

विषय :— केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले जिला शिक्षण एवम् प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कर्मचारी वर्ग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- रा0 शै0/8053-57/89-89, दिनांक 24 जून, 1988 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने केन्द्र पुरोनिधानित जिला शिक्षण एवम् प्रशिक्षण संस्थानों [डिस्ट्रिक्ट इन्स्टीट्यूट्स आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग] की स्थापना योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 20 जिलों लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत, झाँसी, हमीरपुर, फैजाबाद, बहराइन, गुरादा-बाद, मेरठ, बुलन्दशहर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में संचालित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/राजकीय दीक्षालय के प्रांगण में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त संस्थानों में नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 1990 तक के लिए निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है, यदि ये पद इससे पूर्व ही जिला किसी सूचना के द्वारा नहीं कर दिये जाते :—

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्यर्थिता में से न्यूनतम निम्नतम के लिये स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1-	प्राचार्य /	ह० 1360-60-1720-द० 20		1
		र० 60-1900-75-2125		
2-	उप प्राचार्य /	ह० 1250-50-1300-60-1600 20		1
		द० र० 60-1900-75-2050		
3-	वरिष्ठ प्रवक्ता	ह० 850-40-1050-द० र० 50-1300-60-1420-द० र० 60-1720	120	6
4-	प्रवक्ता	ह० 650-30-830-द० र० 50-920-	340	17